

धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विकास / परिक्षेत्रिक  
योजना में उपांतरण हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
आवास एवं पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय,  
भोपाल।

हम धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विकास / परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करते हैं:-

क्र.		विवरण	जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	-	आवेदक का विवरण		
	(क)	आवेदक का नाम		
	(ख)	डाक का पता		
	(ग)	ई-मेल आइ डी		
	(घ)	मोबाइल नम्बर		
	(ङ)	दूरभाष नम्बर		
	(च)	फैक्स नम्बर		
2.	-	भू-स्वामी का विवरण (यदि आवेदक स्वामी न हो तो)		
	(क)	स्वामियों का नाम		
	(ख)	डाक का पता		
	(ग)	ई-मेल का पता		
	(घ)	दूरभाष नम्बर		

क्र.		विवरण	जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5
	(च)	फैक्स नम्बर		
3.	-	उपांतरण हेतु आवेदित भूमि का विवरण		
	(क)	जिला		
	(ख)	तहसील		
	(ग)	ग्राम		
	(घ)	नगरपालिका सीमा के अन्दर या बाहर		
	(ड)	खसरा नम्बर		
	(च)	सम्पूर्ण क्षेत्र हेक्टेयर में		
4	-	विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना के वर्तमान प्रावधान		
	(क)	विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग		
	(ख)	विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना में प्रस्तावित विकास संबंधी मापदण्ड		
5	-	वांछित उपांतरण		
	(क)	वांछित भूमि उपयोग		
	(ख)	वांछित विकास संबंधी मापदण्ड		
6	-	वांछित उपांतरणों के कारण	1. 2. 3.	
	-	वांछित उपांतरण के संबंध में परिशिष्ट क. 1 में सूचीबद्ध अनुसार स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न है।	परिशिष्ट क. 1 में सूचीबद्ध अनुसार	

कृपया प्रश्नाधीन भूमि के भूमि उपयोग / विकास मापदण्डों को शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय उपक्रम / नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी / स्थानीय निकाय के प्रयोजन हेतु उपांतरित करने का कष्ट करे।

मैं अधोहस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करता हुँ कि मैं यह आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत हूँ।

संलग्न: उरोक्तानुसार  
दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

पता .....

.....

## परिशिष्ट-1

धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट-1में उल्लेखित निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होंगे :-

क्र.		दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4
1		भूमि स्वामित्व के दस्तावेज-	
	(क)	भूमि आरक्षण आदेश	
	(ख)	भूमि आवंटन आदेश	
	(ग)	भूमि अधिग्रहण के संबंधी दस्तावेज	
	(घ)	भूमि का कब्जानामा	
	(ङ)	अद्यतन खसरा पांचसाला पी-दो प्ररूप (प्रमाणित)	
2	-	वर्तमान भूमि स्वामी की भूमि उपयोग बदलने के लिये सहमति (यदि आवेदक स्वामी न हो)	
3	-	नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाण पत्र।	
4	-	भूमि का विवरण-	
	(क)	प्रश्नगत भूमि के सर्वे / खसरा क्रमांक दर्शाते हुये खसरा प्लान जिसमें प्रश्नगत भूमि के सभी ओर उसकी बाहरी सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाली भूमियों के खसरा नम्बर भी दर्शाएं गये हों।	

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क	
1	2	3	4
	(प्रश्नगत भूमि को मानचित्र/ प्लान में लाल रंग से दर्शाई (हाईलाइटेड) जाना चाहिए)।		
(ख)	प्रश्नगत भूमि के सर्वे / खसरा क्रमांक तथा उसका रकबा / क्षेत्रफल दर्शाती सारणी		
	अनु. क्र.	भूमि के सर्वे / खसरा क्रमांक (प्रत्येक बटान का)	प्रत्येक खसरे/ बटान का क्षेत्रफल (हिक्टर में)
	1		
	2		
	...		
	-	योग	
(ग)	प्रश्नगत भूमि, मुख्य पहुंच मार्ग (विद्यमान एवं प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, जल निकास तथा भूमि के आसपास विद्यमान उपयोग को उपदर्शित करते हुए रेखांक		
(घ)	सर्वेक्षण योजना का मापमान 1:500 से 1:2000		
(घ)	सर्वे प्लान (निम्न जानकारी दर्शाता हुआ) <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रश्नाधीन भूमि की सीमा</li> <li>प्रश्नाधीन भूमि की सीमा की माप</li> <li>स्वाभाविक लक्षण जैसे ढलान</li> <li>नला / नदी / तालाब/ नहर</li> <li>दो मीटर के अन्तराल पर कंटूर योजना</li> <li>बिजली की लाइनें एवं खम्बें</li> <li>दूरभाष की लाइनें एवं खम्बें</li> </ol>		

क्र.		दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4
		8. ऐसे अन्य लक्षण जिनका समन्वय किया जाना आवश्यक हो दर्शाये जाए जैसे सीवर लाईन, जल प्रदाय लाईन, को-आडिनेशन मार्ग इत्यादि	
5	-	भूमि के विकास का सामान्य परियोजना प्रतिवेदन	
	1	भूमि स्वामित्व का विवरण	
	2	लोकेशन प्लान	
	3	साईट प्लान	
	4	विकास प्रस्ताव दर्शनी वाला अभिन्यास (शहरी योजना/ यातायात योजना/ पर्यावरण योजना)	
	5	प्रस्तावित इमारतों भवन योजना मानचित्र	
	6	अधोसंरचनात्मक योजना रेखाचित्र, जैसे जल प्रदाय, मल वहन, विद्युतीकरण, जल निकास, अग्नि सुरक्षा रेत, वाटर हर्वेसटिंग, कचरे का व्ययन, उपचार संयंत्र (जल/ मलवहन/ कचरा) खराब पानी का पुनः चक्रण।	
6	-	प्रस्तावित विकास का पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन एवं उसके रोकथाम के उपाय	
7	-	रोजगार बढ़ाने, लोगों के सुविधायें में वृद्धि, क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता, तथा प्रस्तावित उपयोग का हिताधिकारी को जीवन के गुणों में सुधार के संबंध में प्रस्तावित विकास दर्शनी वाला प्रतिवेदन।	
8	-	परियोजना लागत निर्धारण।	
		1. बाह्य अवसंरचना उन्नयन की लागत सङ्क,	
		2. जल प्रदाय मल इत्यादि के संदर्भ में बाह्य अवसंरचना का उन्नयन	

क्र.		दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4
		<p>3. आवेदक को दर्शना होगा कि वह बाह्य विकास उन्नयन और अवसंरचना के सुधार उसके द्वारा हाथ में लिया गया है</p> <p>4. और आवेदक को यह भी दिखाना होगा कि उसके मानक तथा सन्नियम जिन पर चयनित क्षेत्र प्रस्तावित विकास पर आधारित हैं, उदाहरण के लिये सड़क निर्माण आदि हेतु आई.आर.सी. के मानक को अपनाना।</p>	
9		आर्थिक ठहराव एवं निवेश योजना तथा परियोजना की समाप्ति के लिये समय सीमा।	
10		क्रियान्वयन की अवस्थाएं	
11	-	स्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में उपांतरण हेतु आवेदन करने के लिए दिया गया प्राधिकार।	
12		आवेदक को उपांतरण के लिए आवेदन करने हेतु भू-स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है इस आशय दस्तावेज	

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

पता .....

.....